न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 475/2022

दायर दिनांक 05.12.2022

निर्णय दिनांक 30.01.2024

उनवान

1. श्रीमती ईशर बाई पत्नी श्री प्यारचंद पूर्बिया गाडरी आयु वयस्क निवासी शनिदेव मन्दिर के पास, गाडरीखेड़ा, गांधीनगर, भीलवाड़ा, तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0) —प्रार्थी

बनाम

1. डालचन्द पुत्र श्री मूला पूर्बिया(गाडरी) आयु वयस्क निवासी शनिदेव मन्दिर के पास, गाडरीखेड़ा, गांधीनगर, भीलवाड़ा, तहसील एव जिला, भीलवाडा।
2. सादिक खां पुत्र श्री अकबर खां पठान आयु वयस्क निवासी, सुभाषनगर, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाडा।
3. अणची पत्नी स्व0 श्री माधव अहीर आयु वयस्क निवासी समोड़ी, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
4. टीना पुत्री श्री माधव अहीर आयु वयस्क निवासी समोड़ी तह0 एवं जिला भीलवाडा।
5. बद्री पुत्र श्री जमना लाल अहीर (यादव) आयु वयस्क निवासी समोड़ी तह0 एवं जिला भीलवाडा।
6. रामेश्वर पुत्र श्री माधव अहीर आयु वयस्क निवासी समोड़ी, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
7. शंकर पुत्र श्री एकलिंग अहीर आयु वयस्क निवासी समोड़ी, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
8. सुरेश पुत्र श्री माधव अहीर आयु वयस्क निवासी समोड़ी, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
9. हजारी पुत्र श्री एकलिंग अहीर आयु वयस्क निवासी समोड़ी, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
10. तेजपाल पुत्र श्री मांगी लाल पारीक आयु वयस्क निवासी समोड़ी, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
11. देउ पुत्री श्री नारू अहीर आयु वयस्क निवासी समोड़ी, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
12. नानू पुत्र श्री नारू अहीर आयु वयस्क निवासी समोड़ी, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
13. फुमा पुत्र श्री नारू अहीर आयु वयस्क निवासी समोड़ी, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
14. शान्ति लाल पुत्र श्री नारू अहीर आयु वयस्क निवासी समोड़ी, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
15. सुरेश पुत्र श्री नारू अहीर आयु वयस्क निवासी समोड़ी, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
16. बरदीचन्द पुत्र श्री मोहन गाडरी आयु वयस्क निवासी समोड़ी, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
17. उदा दत्तक पुत्र भुवाना प्राकृतिक पिता नाथू अहीर आयु वयस्क निवासी समोड़ी, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा (राज0)

—विपक्षीगण

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी विक्रम सिंह राठौड़
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 17 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम :—

—: निर्णय :—

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा समोड़ी 0 दरीबा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पांसल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 6–2079 के खाता संख्या 11 की अभिलिखित आराजियात 1234/1031 कुल किता 01 कुल ा 1.8968 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस ड़ौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख ार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 03 से लगायत 17 के विरूद्ध दिनांक 25.01.2023 को एक कार्यवाही के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 02 नियत पेशी पर आदिनांक को अनुपस्थित से अप्रार्थी संख्या 02 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। प्रार्थी वक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी जियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का ोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के दार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने धिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा ड़ी प0ह0 दरीबा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पांसल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी 2076–2079 के खाता संख्या 11 की अभिलिखित आराजियात 1234/1031 कुल किता 01 रकबा 1.8968 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर कन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस ाण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई । निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा